कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 177/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-18.05.2025 को **थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल, दो अदद मैगजीन जिसमें से एक मैगजीन में एक अदद जिन्दा कारतूस तथा घटना मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन सं0 UP 50AF 3687 बरामद किया गया।**

थाना-अतरौलिया

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल, दो अदद मैगजीन जिसमें से एक मैगजीन में एक अदद जिन्दा कारतूस तथा घटना मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन UP 50AF 3687 बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.05.2025 को वादी रामबली राजभर पुत्र स्व0 मोती निवासी नाऊपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ मय ग्राम प्रधान विजय कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव के साथ थाने पर आकर लिखित तहरीर दिये कि उनके दामाद संजीव पाण्डेय उर्फ संजू व बृसकेतु सिंह उर्फ सुजीत के मध्य गाडी आगे पीछे करने की बात को लेकर आपस मे विवाद किया जा रहा था उसी दौरान अवधेश नरायण सिंह व भगवान सिंह भी मौके पर आ गये जिससे विवाद और अधिक बढ बढ गया। अपने दामाद के साथ हो रहे विवाद की सूचना पर प्रार्थी की पत्नी रमावती देवी ,पुत्री कीर्ती व भाई की पत्नी विमला देवी मौके पर आकर बीच-बचाव कर रही थी, उसी दौरान अचानक प्रार्थी की पत्नी रमावती देवी उम्र 52 वर्ष के कमर के दाहिनी तरफ गोली लग जाने, जिससे जमीन पर गिर जाने, जिन्हे दवा इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो जाने तथा शव को सदर अस्पताल मे रखने के संबंध मे दाखिल किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 163/25 धारा 103(1) बीएनएस** बनाम

1.**संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पुत्र रामसागर पाण्डेय, सा0 मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर (दामाद)**

2. बृसकेतु सिंह उर्फ सुजीत सिंह पुत्र भगवान सिंह, निवासी ग्राम नाऊपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ

3. अवधेश नरायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व्0 सीताराम सिंह, निवासी ग्राम नाऊपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ

4. भगवान सिंह सिंह पुत्र स्व0 अवध विहारी सिंह, निवासी ग्राम नाऊपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस का तरमीम धारा 105/109(1),3(5) बीएनएस में करते हुए बढ़ोत्तरी किया गया तथा आलाकत्ल बरामदगी के आधार पर 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 18.05.25 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र मय उ0नि0 विनय कुमार यादव,उ0नि0 संतोष कुमार,उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह हे0का0 गोविन्द मौर्या,का0 दीपांशू के साथ देखभाल क्षेत्र ,चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , पेडिंग विवेचना अहाकामात व तलाश वांछित व वारंटी में मदियापार मोड़ पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि हत्या के मुकदमे से सम्बंधित अभियुक्त चार पहिया वाहन UP 50AF 3687 से कहीं जाने के फिराक में मण्डोही से बहिरादेव मन्दिर जाने वाली रोड से 200 मी0 अंदर खड़े है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्तों

01. अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह, निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष

02. संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पुत्र रामसागर पाण्डेय, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 26 वर्ष (दामाद) को समय **करीब 12.05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **अवधेश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह के निशानदेही पर अभियुक्त चुन्नू सिंह के मुर्गी फार्म के पास से एक अदद पिस्टल, दो अदद मैगजीन जिसमे से एक मैगजीन मे एक अदद**

जिन्दा कारतूस तथा घटना मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन सं0 UP 50AF 3687 बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 163/25 धारा 105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह, निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष

2. संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पुत्र रामसागर पाण्डेय, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 26 वर्ष

पूर्व का आपराधिक इतिहास:-

अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह, निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	163/25	103(1) बीएनएस	अतरौलिया	आजमगढ
2	437/ 08	302/504 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ
3	438/08	3/25 आर्म्स एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ
4	74/09	2/3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ
5	329/22	323/504/506 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ
6.	163/25	105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/आर्म्स एक्ट 27	अतरौलिया	आजमगढ

संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पुत्र रामसागर पाण्डेय, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 26 वर्ष

1.	163/25	105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/आर्म्स एक्ट 27	अतरौलिया	आजमगढ

बरामदगी:-

01. आलाकत्ल एक अदद पिस्टल .30 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .30 बोर
03. दो अदद मैगजीन
04. चार पहिया वाहन सं0 UP 50AF 3687

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 विनय कुमार यादव, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 संतोष कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 जफर अयूब थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 गोविन्द मौर्या, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
6. का0 दीपांशू थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस